प्रेस नोट

दिनांक 11.09.2023

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

थाना कमरौली/एसटीएफ प्रयागराज की संयुक्त टीम द्वारा कुल 10,656 बोतलों में 5,679 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत 45 लाख रुपये) व एक आईसर ट्रक के साथ 03 अन्तर्राज्यीय अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 10.09.2023 को उ0नि0 अभिनेष कुमार थानाध्यक्ष कमरौली मय हमराही व उ0नि0 रणेन्द्र कुमार सिंह एसटीएफ टीम यूनिट प्रयागराज मय हमराही द्वारा अवैध रूप से शराब तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक आईसर वाहन सं0 NL01K9793 ट्रक से कुछ लोग चण्डीगढ़ से अवैध शराब की तस्करी कर बिहार ले जा रहे हैं। उक्त सूचना पर कार्यवाही करते हुये चेकिंग लगाकर उक्त ट्रक को पलिया पश्चिम मोड़ के पास हिकमत अमली के साथ घेरकर रोक लिया गया। चालक व अन्य व्यक्तियों को गाड़ी से उतारकर नाम पता पूंछा गया तो चालक ने अपना नाम गुरप्रीत सिंह पुत्र नक्षतर सिंह ग्राम बाड़ा पोस्ट कुलदीपनगर थाना सदर जनपद अंबाला हरियाणा उम्र करीब 30 वर्ष बताया व दूसरे व्यक्ति (सहचालक) ने अपना नाम कृष्ण पुत्र रामनाथ पता उपरोक्त उम्र करीब 25 वर्ष व तीसरे ने अपना नाम आसु पुत्र ओमप्रकाश पता उपरोक्त उम्र करीब 24 वर्ष बताया। उक्त वाहन में लदे माल की बिल्टी तलब की गई तो दिखा ना सके। ट्रक की तलाशी से 750 मि0ली0 की 374 पेटियों में कुल 4,488 बोतल(3,366 लीटर) व 375 मि0ली0 की 257 पेटियों में कुल 6,168 बोतल(2,313लीटर) इम्पीरियल ब्लू ब्रांड की शराब बरामद हुई। उक्त शराब के कागज मांगने पर दिखा ना सके।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त गुरप्रीत सिंह ने बताया कि हम लोग यह शराब चण्डीगढ़ से बिहार बेचने हेतु ले जा रहे हैं। उपरोक्त ट्रक के केबिन के अन्दर से एक अदद नंबर प्लेट NL01K9794 बरामद हुआ जिसके बारे में पूछने पर बताया कि जो नंबर प्लेट ट्रक में लगी हुई है वह कूटरचित है एवं यह नंबर प्लेट वास्तविक है। अवैध तस्करी में मेरे साथ 1.पवन कुमार पुत्र रामफल निवासी 349 वीपीओ खेरातीखेड़ा शहर फतेहाबाद हरियाणा, 2. मनवीर सिंह उर्फ मनु पुत्र सत्यभान सिंह निवासी बयानाखेड़ा 16 हिसार हरियाणा, 3. योगेश पुत्र अज्ञात निवासी जीरखपुर चण्डीगढ़ व अन्य (नाम पता अज्ञात) मिलकर यह कारोबार काफी समय से कर रहे हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना कमरौली द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी स्थल- पलिया पश्चिम मोड़ कमरौली। **गिरफ्तारी का दिनांक व समय-** दिनांक 10.09.2023, 04:30 बजे सायं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–
1. गुरप्रीत सिंह पुत्र नक्षतर सिंह निवासी ग्राम बाड़ा पोस्ट कुलदीपनगर थाना सदर जनपद अंबाला हरियाणा उम्र करीब 30 वर्ष।(चालक)
2. कृष्ण पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम बाड़ा पोस्ट कुलदीपनगर थाना सदर जनपद अंबाला हरियाणा उम्र करीब 25 वर्ष।(सहचालक)
3. आसु पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बाड़ा पोस्ट कुलदीपनगर थाना सदर जनपद अंबाला हरियाणा उम्र करीब 24 वर्ष।(खलासी)

वांछित अभियुक्तों का नाम व पता-
1. पवन कुमार पुत्र रामफल निवासी 349 वीपीओ खेरातीखेड़ा शहर फतेहाबाद हरियाणा।
2. मनवीर सिंह उर्फ मनु पुत्र सत्यभान सिंह निवासी बयानाखेड़ा 16 हिसार हरियाणा।
3. योगेश पुत्र अज्ञात निवासी जीरखपुर चण्डीगढ़।

बरामदगी-
1. 750 मि0ली0 की 374 पेटियों में कुल 4,488 बोतल(3,366 लीटर) इम्पीरियल ब्लू ब्रांड।
2. 375 मि0ली0 की 257 पेटियों में कुल 6,168 बोतल(2,313लीटर) इम्पीरियल ब्लू ब्रांड।
3. एक आईसर ट्रक वाहन सं0 NL01K9793(कूटरचित नंबर)।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-
1. मु0अ0सं0 95/23 धारा 419,420,467,468,471 भादवि व 60(1),63,72 आबकारी अधिनियम थाना कमरौली जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कमरौली-
- उ0नि0 अभिनेष कुमार थानाध्यक्ष कमरौली, उ0नि0 कर्मवीर सिंह, उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप सिंह, हे0का0 अजय कुमार सोनकर, हे0का0 अंकित दीक्षित, का0 भानु प्रताप सिंह।

एसटीएफ टीम यूनिट प्रयागराज-
- उ0नि0 रणेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 संजय कुमार सिंह, हे0का0 सन्तोष कुमार, हे0का0 रोहित सिंह, का0 किशन चन्द्र।